विधानसभा षोडश (द्वितीय) सत्र 2024 [16/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2178] **अतारांकित प्रश्न कमांक–2178**

परिशिष्ट–''अ''

सूचनाकर्ता दिनेश कुशवाह पुत्र बीर सिंह कुशवाह निवासी चकरामपुर थाना नरवर ने सूचना दी कि दिनाँक 25.09.23 के शाम करीब 05.30 बजे बिशाल बघेल के घर के पास गाँव के गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने ले जाते समय कुशवाह समाज के गाने बजाने को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ तथा भोला ने कट्टे से गोली चला दी। जिस पर से अपराध क्र. 260/2023 धारा–307, 294, 323, 336, 34 भादवि आरोपीगण योगेन्द्र उर्फ भोला भदौरिया एवं महेन्द्र भदौरिया निवासीगण चकरामपुर थाना नरवर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था।

घटना में घायल दिनेश कुशवाह के मेडीकल परीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 25.09.23 में डॉक्टर सुरेन्द्र कुशवाह सीएचसी नरवर द्वारा दिनेश कुशवाह को आई चोट ''गन शॉट'' से आना प्रतीत नहीं होता है, लेख किया है। फोरेन्सिक एक्सपर्ट से राय लेने हेतु प्री–एमएलसी रिपोर्ट तैयार की जाकर, अनुसंधान के क्रम में आहत दिनेश कुशवाह की खून आलूदा शर्ट, तोलिया एवं मेडीकल कॉलेज शिवपुरी में इलाज के दौरान प्रजर्व दो कॉटन स्वाव, ब्लड स्टेयनिड कॉटन स्वाव की जाँच हेतु एफएसएल ड्राफ्ट तैयार कर राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला सागर भेजी गयी जिसकी रिपोर्ट आना शेष है। रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु एफएसएल सागर से पत्राचार किया गया है।

अतः एफएसएल सागर से एक्सपर्ट के ओपिनियन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी से राय प्राप्त की जाकर, तत्पश्चात् आरोपीगण भोला उर्फ योगेन्द्र भदौरिया एवं महेन्द्र भदौरिया के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

30/1

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग, (पुलिस)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Scanned with CamScanner

विधानसभा षोडश (द्वितीय) सत्र 2024
अतारांकित प्रश्न क्रमांक–2178
परिशिष्ट–"ब"

अपराध क्र. 260/2023 धारा–307, 294, 323, 336, 34 भादवि में नामजद आरोपियो भोला भदौरिया उर्फ योगेन्द्र तथा महेन्द्र भदौरिया के विरूद्ध एफएसएल सागर से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। एफएसएल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु विवेचना अधिकारी द्वारा समय–समय पर पत्राचार किया गया है। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण विवेचना में अग्रिम कार्यवाही नही हो सकी है।

दिनांक 25.09.2023 को गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर कुशवाह समाज का गाना बजाने को लेकर कुशवाह पक्ष व भादौरिया पक्ष के बीच लड़ाई झगडा हुआ था। जिस पर से फरियादी दिनेश कुशवाह की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 260/2023 धारा 307, 323, 294, 336, 34 भादवि का भोला उर्फ योगेन्द्र भदौरिया एवं महेन्द्र भदौरिया के विरूद्ध कायम किया गया था एवं उक्त दिनांक को ही फरियादिया सुमन भदौरिया की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 257/2023 धारा 147, 148, 452, 323, 506, 34 भादवि कायम किया गया था। चूंकि अपराध क्रमांक 257/2023 में आरोपीगणों के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य होने से चालानी कार्यावाही की गई है तथा अपराध क्रमांक 260/2023 में एमएलसी कर्ता डॉ सुरेन्द्र कुशवाह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा एमएलसी रिपोर्ट में गन शॉट न होना लेख करने एवं एफ.एस.एल रिपोर्ट सागर से प्राप्त न होने के कारण, प्रकरण विवेचनाधीन है। घटना के तत्काल बाद दोनो पक्षों के विरूद्व ऐहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा दिनांक 26.09.2023 को इस्तगासा क्रमांक–509/2023, 510/2023, 511/2023, 512/2023, 513/2023, 514/2023, 515/2023, 516/2023, 517/2023 तक एवं दिनांक 30.09.2023 को इस्तगासा क्रमाक 520/2023, 521/2023, 522/2023, 523/2023, 524/2023, 525/2023, 526/2023, 527/2023. 528/2023 धारा 107, 116(3) जा.फौ के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर पुलिस द्वारा निगाह रखी जा रही थी, जो कि दिनांक 17.11.2023 को मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव का मतदान होने से पुलिस बल चुनाव में ड्यूटी में व्यस्त होने से पुरानी रंजिश पर से दिनाँक 17.11.23 को भदौरिया पक्ष एवं कुशवाह पक्ष के बीच झगडा हुआ था। भदौरिया पक्ष का मात्र एक घर है एवं कुशवाह समाज के घर ग्राम चकरामपुर में अधिक संख्या में है जो दोनों पक्षो के मध्य कई मुद्दों को लेकर आपसी रंजिश थी जैसे की छोटी छोटी बातों रास्ता गली निकलने को लेकर, बिजली के तार डालने को लेकर, पंचायत के कामकाजो को लेकर आदि कारणों को लेकर आपसी रंजिश रहती थी। घटना के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही नहीं पाई गई।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Scanned with CamScanner

विधानसभा षोडश (द्वितीय) सत्र 2024
अतारांकित प्रश्न कमांक–2178
परिशिष्ट–"स"

दिनांक 17.11.23 को रात करीब 09.00 बजे ग्राम चकरामपुर थाना नरवर जिला शिवपुरी में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर से योगेन्द्र उर्फ भोला भदौरिया द्वारा घायल अवस्था में देहाती नालसी सीएचसी नरवर पर लेख करायी थी, जिसमे 11 नामजद व्यक्तियों को एवं अन्य 20–25 अज्ञात व्यक्तियों को घटना में शामिल होना बताया था, जिस पर से अपराध क्र. 321/23 धारा–147, 148, 149, 307, 435, 323, 324 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है। इलाज के दौरान भोला उर्फ योगेन्द्र भदौरिया के परिवार के 04 व्यक्तियों 1–लक्ष्मण भदौरिया 2–मुन्ना भदौरिया 3–आशादेवी भदौरिया 4–अमरसिंह भदौरिया की मृत्यु घटना में आयी गंभीर चोटो के कारण जेएएच हॉस्पीटल ग्वालियर में हो गयी थी।

अपराध के अनुसंधान के क्रम में घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा मौका, घटना स्थल से जप्ती, डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, शव पंचायत नामा, मृत्युकालिक कथन, कथन फरियादी/ साक्षीगण, आरोपीगणों की गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम, जप्ती आदि विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुये वैधानिक रूप से गिरफ्तार किया गया एवं आरोपीगणों के पृथक–पृथक मेमोरेण्डम लिये गये तो आरोपीगणो ने अपने मेमोरेण्डम में अज्ञात व्यक्तियों के नाम बताये जो उनके साथ घटना में शामिल थे। विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार अन्य अज्ञात घटना करने वाले आरोपीगणो को ज्ञात कर, नामजद आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में 1. अखिलेश कुशवाह 2. वीरसिंह कुशवाह 3. रणवीर सिंह कुशवाह 4. परमाल सिंह कुशवाह 5. विष्णु कुशवाह 6. रामसिंह कुशवाह 7. गोपाल कुशवाह 8. राय सिंह कुशवाह 9. मेहरबान सिंह कुशवाह 10. गोलू उर्फ शिवकुमार कुशवाह 11. मुकेश कुशवाह 12. देशराज कुशवाह 13. खुमान सिंह कुशवाह 14. सोनूराम कुशवाह 15. गोपाल कुशवाह 16. सुरेश बंशकार 17. दिनेश कुशवाह 18. दामोदर कुशवाह 19. मंगल सिंह कुशवाह 20. बाबूलाल उर्फ बाबू सिंह कुशवाह 21. त्रिलोक कुशवाह 22. भूपसिंह कुशवाह 23. जगदीश सिंह कुशवाह 24. पर्वत कुशवाह 25. अरविन्द कुशवाह 26. गौरव कुशवाह को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है। शेष आरोपीगण की पतासाजी जारी है। आरोपीगण के परिजनो द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों को विवेचना में शामिल कर, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को निर्दोष एवं झूठा नहीं फसाया गया है। प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना जारी है। अतः पृथक से उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता नहीं है।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner